कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

//संशोधित–आदेश//

क्रमांक/ 08 /एक/11/03/सां./2010 अशोकनगर, दिनांक 20-02-2025

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रं0 295/गोप0/2025/दो–2–1/2025 जबलपुर दिनांक 09.02.2025 के द्वारा जिला न्यायपालिका अशोकनगर की तहसील मुंगावली में न्यायिक अधिकारी श्रीमती अनीता खजूरिया की पदस्थापना द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, मुंगावली के पद पर किये जाने के फलस्वरूप कार्य विभाजन आदेश क्रं0 01 दिनांक 07.01.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो दिनांक 20.02.2025 से प्रभावशील होगा :–

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
	कार्य विभाजन आदेश क्रं0 01 दिनांक 07.01.2025 के पृष्ठ क्रमांक 07 से 09 पर उल्लेखित सरल क्रं0 07 एवं 08 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :–		
7.	प्रथम जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश मुंगावली	सत्रखण्ड अशोकनगर तहसील मुंगावली, पिपरई, बहादुरपुर	1. सत्र प्रकरण। 2. आपराधिक अपीलें। 3. आपराधिक पुनरीक्षण। 4. तहसील मुंगावली एवं पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के पुलिस थाने एवं चौकियों से उत्पन्न प्रतिभूति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482,483 भा.न.सु.स. 2023 प्रस्तुत होने पर उनका निराकरण। 5. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार रखने वाले मामले। 6. समस्त दोष मुक्ति/दोष सिद्धि के विरूद्ध अपील /निगरानी जो मुंगावली स्थित न्यायिक दण्डाधिकारीगण के न्यायालयों एवं अनु.दंडाधिकारी मुंगावली द्वारा पारित निर्णय, दंडादेश एवं आदेश के विरूद्ध अपील, पुनरीक्षण। 7. रूपये एक करोड़ एक रूपये से दस करोड़ रूपये तक के मुंगावली, पिपरई एवं बहादुरपुर तहसील क्षेत्र से उत्पन्न व्यवहार वाद। 8. भू–अर्जन संबंधी प्रकरण। 9. लघुवाद अधि0 के अंतर्गत पॉच सौ रू. से अधिक एक हजार रू. तक के प्रकरण। 10. म0प्र0 स्थान नियंत्रण अधि0 के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं नगरपालिका विधान के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील। 11. तहसील मुंगावली, बहादुरपुर एवं पिपरई के नगरपालिका अधि0 के अंतर्गत आधिकारिता क्षेत्र रखने वाले मामले एवं मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत चुनाव याचिकायें, तहसील मुंगावली एवं पिपरई क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न। 12. अन्य सभी प्रकार के ऐसे साम्पत्तिक प्रकरण, जिन्हें समय–समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			अशोकनगर द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किया जावेगा।
			13. अति0/व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड मुंगावली के न्यायालयों द्वारा व्यवहारवादों में पारित, निर्णय, जयपत्रों के विरूद्ध अपीले एवं आदेशों के विरूद्ध नियमित एवं विविध अपीले।
			14. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त विशेष सत्र प्रकरण।
			15. मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधि.के अंतर्गत भाडा नियंत्रक अधिकारी एवं न.पा विधान के अतंर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपीले।
			16. **विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 क अधिनियम क्रं.–36) के अन्तर्गत तहसील मुंगावली, पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) एवं बहादुरपुर से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण, जो विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है।**
			17. **तहसील मुंगावली, पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) एवं बहादुरपुर से उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित समस्त प्रकरण।**
			18. माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन क्रं बी/630 दिनांक 13.09.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला वि0 भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 के पालन में तहसील मुंगावली, पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) एवं बहादुरपुर से उत्पन्न "लिंचिग एवं मॉव वायलेंस" से संबंधित प्रकरण।
			19. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा स्थानांतरित किये जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा संबंधी क्लेम प्रकरण, भा. विवाह विच्छेद अधि1980 के अंतर्गत एवं हि.विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रकरण तथा गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि0 1890 के अधीन प्रकरण।
			20. क्रमांक 1 लगायत 19 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।
			20. पूर्व में तहसील न्यायालय मुंगावली में नियमित प्रथम/अति0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जो तहसील मुंगावली के क्षेत्राधिकार से उद्भूत प्रकरणों की सुनवाई की गई है अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में (सत्र प्रकरण/आपराधिक अपील /आपराधिक पुनरीक्षण /सिविल प्रकरण/ भू–अर्जन /मोटरदावा अधिकरण/ लघुवाद), व अन्य प्रकरण जो अपील न्यायालय से रिमांड पर पुनः सुनवाई होने हेतु वापिस होने की दशा में एवं उनसे उत्पन्न होने वाले

स.क्रं.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.
			विविध एवं इजरा प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर निराकरण करेंगे।
	मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगावली	**तहसील मुंगावली, पिपरई एवं बहादुरपुर**	21. तहसील मुंगावली, पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) एवं बहादुरपुर के थाना क्षेत्रों एवं पुलिस चौकियों से उत्पन्न मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरण, विविध प्रकरण एवं मोटर यान अधि0 1988 की धारा 165(2) के संशोधन के फलस्वरूप प्रस्तुत होने वाले क्लेम प्रकरण एवं प्रवर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर के ज्ञापन क्र0 बी/5503 दिनांक 02.08.2023 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्र0 9322 (विशेष अनुमति याचिका क्र0 32448/2018 से उत्पन्न) गौहर मोहम्मद वि0 उ0प्र0 राजय रोड़ परिवहन कॉ0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12. 2022 के पालन में मोटर वाहन संशोधन नियम, 2022 के आलोक में प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट एवं अंतरिम दुर्घटना रिपोर्ट की सुनवाई।
8.	**द्वितीय जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, मुंगावली**	**तहसील मुंगावली, पिपरई एवं बहादुरपुर**	1. भा.विवाह विच्छेद अधि1980 के अंतर्गत एवं हि.विवाह अधि0 1955 के अंतर्गत प्रकरण। 2. गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट 1890 के अंतर्गत संरक्षककर्ता एवं प्रतिपाल अधि0 1890 के अधीन प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अतंर्गत लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्रोवेट संबंधी प्रकरण 1 लाख रू. की सीमा तक। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अन्तरण पर सत्र प्रकरण,आप.अपील, आप. पुनरीक्षिण, विविध आप. प्रकरण सौपे जावेगें। 5. न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उदभूत होने वाले समस्त विविध प्रकरण। 6. अन्य सभी प्रकार के साम्पत्तिक प्रकरण, जो प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर सुनवाई हेतु अंतरित किये जावेंगे। 5. उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहारवाद एवं अन्य प्रकरणों से उद्‌भूत होने वाले समस्त विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण। 6. क्रमांक 1 लगायत 5 से संबंधित प्रकरणों से उत्पन्न विविध आपराधिक एवं व्यवहार प्रकरणों की सुनवाई।

Sd -

(पी0सी0 आर्य)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 364/एक–11–03/सां0/2010 अशोकनगर दिनांक 20-2-25

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 खंडपीठ ग्वालियर।
3. प्रथम/द्वितीय जिला न्यायाधीश, मुंगावली।
4. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
5. कलेक्टर, अशोकनगर।
6. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
7. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, मुंगावली की ओर सूचनार्थ।
8. प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी
9. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

20/02/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)